विद्युत लोकपाल

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-08/2021</u>

श्री हेमचंद्र जैन, **– आवेदक / अपीलार्थी**
म.क्र. 07, पटेल मार्केट के सामने,
भानपुर चौराहा, विदिशा रोड,
भोपाल (म0प्र0)

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक शहर संभाग, (पूर्व) **– अनावेदक / प्रति–अपीलार्थी**
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.)

<u>आदेश</u>

(दिनांक 08.04.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री हेमचंद्र जैन ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 16.10.2021 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल / ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक बी.टी. / 55 / 2021 में आदेश दिनांक 26 / 08 / 2021 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 21.10.2021 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक 08 / 2021 पर दर्ज की गई है ।

02. **<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :</u>**

1) मैं अपने परिवार (पत्नि व पुत्री) के साथ पिता के मकान मे प्रथम तल पर अकेले निवास करता हुं मैंने नवीन घरेलु कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन दिया व निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात सर्वेक्षणकर्ता द्वारा सर्वेक्षण के समय मॉगे गये समस्त आवश्यक व निर्धारित कागजात मोके पर ही तुरंत ही उपलब्ध करायें इस प्रकार सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई।

ऑनलाईन आवेदन मे व सर्वेक्षणकर्ता द्वारा सर्वेक्षण के समय ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि एक ही परिसर में दूसरा कनेक्शन नही दिया जा सकता।

2) सर्वेक्षण की प्रक्रिया के पश्चात कनेक्शन स्थापित होना था कुछ समय बाद जोन प्रबंधक द्वारा मनमाना व गुमराह करने वाला दृष्टिकोण अपनाते हुए मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य के एक आदेश का हवाला देते हुए यह कहॉ कि आदेशानुसार एक ही परिसर पर दूसरा घरेलू कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।

3) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में कही पर उल्लेख नही कि एक ही परिसर मे दूसरा कनेक्शन नही दिया जा सकता व संहित मे उल्लेख अनुसार सभी अभिलेख संलग्न किये है।

4) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.11 के अनुसार ऐसे प्रकरण जहॉ घरेलू व एकल फेज गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा नवीन संयोजन की स्थापना हेतू आवेदक द्वारा परिसर के विधिसम्मत अधिभोगी होने का प्रमाण दिया जाना संभव न हो तो ऐसे उपभोक्ताओं की 90 दिन की अनुमानित औसत खपत के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) राशि जमा करनी होगी व नवीन संयोजन प्रदान किया जावेगा। संलग्न : संहिता की प्रति।

5) मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य के आदेश मे ऐसा कहीं उल्लेख है कि एक ही परिसर मे दूसरा कनेक्शन नही दिया जाये उक्त आदेश का उददेश्य व मंशा स्पष्ट है कि ऐसा संज्ञान मे आया है कि कंपनी कर्मियो की सॉंठगॉंठ से योजना का लाभ लेने के उददेश्य से जो व्यक्ति दूसरा कनेक्शन लेना चाहते उन्हे रोका जाये वास्तविक जरूरतमंद व केवल योजना का लाभ लेने के उददेश्य से कनेक्शन लेने वालो को देखना व उनकी पहचान करना कंपनी प्रबंधको का दायित्व है।

6) दिनांक 02.08.2021 को फोरम के समक्ष सुनवाई के समय माननीय फोरम द्वारा जाने प्रबंधक से जानकारी मॉगने पर कि आवेदक द्वारा कनेक्शन हेतु क्या—क्या दस्तावेज प्रस्तुत किये है प्रबंधक द्वारा बताया गया कि सभी दस्तावेज प्रदान किये गये है सिर्फ मकान मालिक का सहमति पत्र संलग्न नहीं है मेरे द्वारा बताया कि सहमति पत्र सर्वेक्षणकर्ता को सर्वेक्षण के समय मौके पर ही दिया गया था फोरम ने कहॉ कि आप दुबारा सहमति पत्र जोन कार्यालय मे प्रस्तुत करें मेने अगले दिवस पर ही सहमति पत्र दोनों कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज मुझसे नही मॉंगे गये।

7) यह आपको तय कर निर्णय देना है कि नवीन संयोजन प्रदान करने मे म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के नियम लागू होने या मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य का आदेश जिसमे ऐसा कही उल्लेख नही कि एक परिसर मे दूसरा कनेक्शन नही दिया जाये ।

अतः आपसे समक्ष अनुरोध है कि नवीन कनेक्शन प्रदाय करने हेतु आदेश देवे।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–08/2021 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 23.11.2021 को नियत की गई।

प्रथम सुनवाई दिनांक 23.11.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री वासुदेव धनवानी, ऑफिस असिस्टेंड – III उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री वासुदेव धनवानी द्वारा उप महाप्रबंधक (शसंपू) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल के पत्र क्रमांक 6716 दिनांक 22.11.2021 प्रस्तुत किया, जिसे नस्ती में लिया गया ।

उप महाप्रबंधक (शसंपू) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल के पत्र क्रमांक 6716 दिनांक 22.11.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रकरण क्रमांक 08/2021 श्री हेमचंद्र जैन वि. कम्पनी में जवाब हेतु उप महाप्रबंधक (शसंपू) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल द्वारा प्रबंधक भानपुर जोन (श्री अजय वाधवानी) की प्रकरण में प्रभारी अधिकारी प्रतिनिधि नियुक्ति की गई है । प्रभारी अधिकारी प्रकरण में नियत दिनांक को किसी आवश्यक कार्य से विद्युत लोकपाल कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं । अतः निवेदन है कि प्रकरण में 15 दिवस बाद की नियत दिनांक प्रदान करने का कष्ट करें ।

अनावेदक कम्पनी के निवेदन को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 21.12.2021 नियत की गई ।

अगली सुनवाई दिनांक 21.12.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में कुछ अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय की मांग की गई । मांग स्वीकारते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 04.01.2022 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 04.01.2022 को विद्युत लोकपाल का पद रिक्त होने के कारण उक्त प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी तथा विद्युत लोकपाल के पद पर दिनांक 14.02.2022 को पदस्थापना के बाद उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.02.2022 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 24.02.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अजय वाधवानी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

आवेदक की ओर से सुनवाई के दौरान पुनः आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2022 प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अनावेदक को दी गई ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में लिखित प्रतिवेदन क्रमांक 620 दिनांक 23.02.2022 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार हैः–

श्री हेमचंद जैन द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाईन दिनांक 18.06.2020 को आवेदन किया गया एवं पंजीयन शुल्क 25.06.2020 को जमा किया गया। चूँकि हेमचंद्र जैन के परिसर का भौतिक निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि उनके परिसर पर एक पूर्व से ही घरेलू विद्युत कनेक्शन स्थापित है एवं आवेदक को मौखिक रूप/पत्रो के माध्यम से यह बताया जा चुका है कि घरेलू परिसर पर 01 से अधिक विद्युत कनेक्शन प्रदान नही किये जा सकते। दिनांक 03.07.2020 को व्हॉटसप के माध्यम से विद्युत कंपनी के नियमानुसार क्रमांक प्र.सं./म.क्षे./वाणि/1343 दिनांक 17.10.2019 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है 01 परिसर/ रजिस्ट्री पर एक ही कनेक्शन प्रदान किये जाये। माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम प्रकरण क्रमांक बी.टी. 55/2021 दिनांक 11.02.2021 के तारतम्य में आदेश पारित किया गया है कि उक्त परिसर पर दूसरा घरेलु विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है माननीय उपभोक्ता फोरम के द्वारा उक्त प्रकरण के विरूद्ध 26.08.2021 को आदेश पारित कर प्रकरण को निरस्त किया जा चुका है ।

दिनांक 23.02.2022 को उभयपक्षों को सुना गया एवं आवेदक को प्रथक परिसर होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा अनावेदक को प्रथक परिसर न होना पाये जाने एवं उस परिसर में आवेदक को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उभयपक्षों को पुनः सुना गया, सुनने के उपरान्त अनावेदक को निर्देशित किया कि आवेदक के आवेदन को पुनः गंभीरता एवं सहानुभूतिपूर्वक जांच करें जिसमें मकान का उक्त भाग जिसमें घरेलू नवीन कनेक्शन की मांग की गई है वह नियमानुसार अलग परिसर की श्रेणी में आता है या नहीं ? जांच उपरान्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । यदि पृथक परिसर है तो कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही करें । उपरोक्त कार्यवाही पश्चात् प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 30.03.2022 नियत की जाती है, उभयपक्षों को सूचित हो ।

सुनवाई दिनांक 30.03.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आवेदक द्वारा जिस स्थल पर नवीन विद्युत कनेक्शन चाहता है या मांग की गई है उस स्थल को पृथक परिसर दिखाने संबंधी कोई भी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया ।

अनावेदक ने अपने पत्र क्रमांक 647 दिनांक 05.03.2022 के माध्यम से दिनांक 24.02.2022 की सुनवाई में आवेदक के द्वारा दिए गए बिन्दुओं की मांग पर बिन्दुवार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति आवेदक को दी गई, जो निम्नानुसार है :–

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि श्री हेमचंद जैन द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाइन दिनांक 18.06.2020 को आवेदन किया गया एवं पंजीयन शुल्क 25.06.2020 को जमा किया गया। उक्त परिसर पर नवीन घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है जिससे संबंधित बिन्दुववार जानकारी निम्नानुसार हैः–

(1) सप्लाई कोड 2021 के विद्युत प्रदाय बिन्दु 5.2 के अनुसार उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के कट–आउट/एमसीबी/कंट्रोल स्विचगियर से प्रवेशी छोर (इनकमिंग टर्मिनल) पर एकल बिन्दु पर किया जाएगा। भिन्न–भिन्न परिसरों में भिन्न–भिन्न संयोजन प्रदान किये जायेगे। कोयला खदानों के प्रकरण में विशेष तौर पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक अभिन्यास (फिजिकल लेआउट) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिन्दुओं पर भी विद्युत प्रदाय कर सकेगा।

चूंकि उपभोक्ता परिसर में पूर्व से ही घरेलू राजेन्द्र जैन नाम से कनेक्शन है जिसका सर्विस क्रमांक 2444000418 है घरेलू परिसर पर 01 से अधिक विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं दिये जा सकते। कम्पनी के नियमानुसार क्रमांक प्र./सं./म.क्षे./वाणि/1343 दिनांक 17.10.2019 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है 01 परिसर/रजिस्ट्री पर एक ही कनेक्शन प्रदान किये जाये। माननीय

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम प्रकरण क्रमांक बी.टी. 55/2021 दिनांक 11.02.2021 के तारतम्य में आदेश पारित किया गया है कि उक्त परिसर पर दूसरा घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(2) सप्लाई कोड के बिन्दु 4.16 के अनुसार ऐसे प्रकरणों में जहाँ घरेलू और एकल–फेज गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा नवीन संयोजन की स्थापना के प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा परिसर के विधिसम्मत अधिभोगी होने का प्रमाण दिया जाना सम्भव न हो तो संबंधित विद्युत वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे प्रमाण की अर्हता को, इसके कारणों को लिखित में दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है। तथापि, ऐसे उपभोक्ताओं को प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा उनकी, नब्बे (90) दिन की अनुमानित औसत खपत के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) की निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इस प्रकार के परिसरों में प्रदाय किये गये विद्युत संयोजनों (या इससे संबंधित अभिलेखों) को परिसर पर किसी भी प्रकार उसके कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी प्रमाण के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में भी, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा परिसर का अधिभोग अवैध रूप से किया जा रहा है तो विद्युत संयोजन को तुरन्त स्थाई तौर पर विच्छेदित किया जा सकेगा।

चूँकि बिन्दु क्रमांक 4.16 के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता के पास वैध परिसर से स्वामित्व संबंधित दस्तावेज उपलब्ध है उक्त दस्तावेजों के आधार पर वह पूर्व में ही उपभोक्ता स्थाई घरेलू कनेक्शन ले चुका है एवं सप्लाई कोड 4.16 मूलतः JJ Claster संबंधित उपभोक्ताओं के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते है एवं भूस्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज न हो।

दिनांक 30.03.2022 को आवेदक उपस्थित हुआ पर उनके द्वारा पृथक से परिसर होने संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । पुनः पूछे जाने पर उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित एकमात्र दस्तावेज परिसर के स्वामी का सादा कागज पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसके संबंध में उन्हें बताया गया कि यह पृथक परिसर सिद्ध करने हेतु स्वामित्व या अधिवास का वैधानिक दस्तावेज नहीं है । क्या आप और कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं । आवेदक द्वारा मना किया गया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 647 दिनांक 5.3.2022 (जिसकी प्रति उन्हें पूर्व में उपलब्ध करा दी गई है) की बिन्दुओं पर प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु पुनः अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेज/पत्र/प्रत्युत्तर प्रेषित करने से मना किया ।

प्रकरण में उभयपक्षों की ओर से आगे कुछ ओर कथन नहीं किए जाने तथा अन्य कोई साक्ष्य/जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु शेष नहीं है एवं उभयपक्षों को पूर्ण रूप से सुन लिया गया है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर आदेश हेतु सुरक्षित किया जाता है।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

क) मुख्य महाप्रबंधक, वाणिज्य, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी का पत्र विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुरूप पाया गया । उक्त पत्र में यह स्पष्ट है कि एक परिसर में एक ही कनेक्शन प्रदाय किया जाएं । विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रमांक 4.16 ऐसे परिसरों हेतु है जहां विद्युत प्रदाय नहीं है एवं वे मुख्यतः अवैध कॉलोनी/झुग्गी बस्ती/अस्थाई बसाहट में आते हैं ।

ख) विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्रमांक 4.18 में यह स्पष्ट है कि एक परिसर में एक प्रयोजन हेतु एक ही कनेक्शन दिया जावे । यह विद्युत प्रदाय संहिता की नियमावली के अनुसार होने के साथ–साथ विद्युत सुरक्षा के मद्दे नजर भी अति आवश्यक है ।

ग) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका क्रमांक 4.11 (विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 4.16) में कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान केवल ऐसे परिसर के लिए हैं जहां विद्युत प्रदाय नहीं है एवं ना ही वे परिसर विधि सम्मत शासन के रिकार्ड में दर्ज हैं, जिसमें मुख्य रूप से झुग्गी बस्तियां एवं अवैद्य कॉलोनियों के मकान आ सकते हैं जिनमें परिसर का विधि सम्मत प्रमाण नहीं होने पर एफीडेविड प्राप्त कर 90 दिन की सुरक्षा राशि लेकर विद्युत कनेक्शन विद्युत प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रदाय किया जा सकता है ।

घ) मकान के जिस भाग में कनेक्शन मांगा गया है वह उपरोक्त श्रेणी में नहीं आता है एवं परिसर में पूर्व से विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है ।

05. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों/निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) आवेदक की अपील अस्वीकार की जाती है ।

ii) प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वामित्व या अधिवास का विधि सम्मत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण नवीन कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है । परिसर में पूर्व से विद्युत प्रदाय है ।

iii) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा पारित आदेश यथावत् रखा जाता है ।

06. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

07. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल